(2)

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 156 / 2017

बउनवान

अब्दुल कयूम पुत्र श्री अब्दुल मौलाना आयु 52 वर्ष जाति–मुसलमान
निवासी–आकेडा तहसील–बारां जिला–बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री हरीओम चतुर्वेदी, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 07.03.2019

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 17.02.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–आकेंडा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 526 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 550/–रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं प्रकिया एवं विधि के संचायिका के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विरूद्व होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सूचना, सुनवायी एवं जवाबदेहीं का अवसर दिये बिना एवं बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित किया गया है। अतिक्रमित दर्शायी गयी आराजी पर अपीलांट ने किसी प्रकार की फसल काश्त नहीं की है ना हीं कोई कब्जा रहा है उसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का निर्णय दिनांक 17.02.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज [illegible] रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल [illegible] तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार [illegible]।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील [illegible] नहीं करायी है। अनुनस्थिति में अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.09.12 17:58:59 IST
Reason: SelfAttested

(2)

दिये बिना एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। जबकि अपीलांट का अतिक्रमित दर्शायी गयी आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वर्तमान में भी किसी भी व्यक्ति का कोई कब्जा नहीं है, भूमि खाली पड़ी हुयी है। साथ ही कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई रेकार्ड व दस्तावेजात् नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्‌वर्ती माना जाना विधि विरूद्ध एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.2.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 773/13 निर्णय दिनांक 13.03.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है जिसपर अपीलांट द्वारा पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर मिसल नम्बर 773/13 निर्णय दिनांक 13.03.2013 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 34/14 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2019 को खुले इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.09.12 17:58:59 IST
Reason: SelfAttested

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)